न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सह–विशेष न्यायालय, सिवान

दरौंदा थाना कांड संख्या 215/2020

13.08.2021 मामले के अभियुक्त रुस्तम मियां उर्फ मोहम्मद रुस्तम अली की ओर से आज न्यायालय में एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया कि आवेदक की जन्मतिथि दिनांक 01.01.2007 है तथा मामले की घटना तिथि 08.08.2020 दर्शायी गई है। इस तरह आवेदक अभियुक्त घटना के समय अव्यस्क रहा है। आवेदक अभियुक्त के वाद को किशोर न्याय बोर्ड़ के समक्ष उम्र जांच एवं निस्तारण हेतु भेजने की प्रार्थना की गई।

डिजिटल कोर्ट में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक रुस्तम मियां उर्फ मोहम्मद रुस्तम अली की ओर से अपने अव्यस्क होने के कथन के समर्थन में ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल द्वारा निर्गत TRANSFER CERTIFICATE की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसमें इनकी जन्मतिथि दिनांक 01.01.2007 है एवं घटना की तिथि दिनांक 08.08.2020 है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल उम्र संबंधित दस्तावेजों से आवेदक प्रथम दृष्टया अभिकथित घटना में अव्यस्क प्रतीत होता है। अतः आवेदक रुस्तम मियां उर्फ मोहम्मद रुस्तम अली की उम्र जांच एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु इनका वाद मूल वाद से पृथक कर किशोर न्याय परिषद् सिवान के समक्ष भेजने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आवेदक रुस्तम मियां उर्फ मोहम्मद रुस्तम अली से संबंधित सामाग्रियों के साथ मूल अभिलेख से पृथकवाद इनसे संबंधित कागजातों के साथ किशोर न्याय परिषद् सिवान के न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब भेजे। किशोर न्याय परिषद् सिवान किशोर न्याय (बालकों के देख रेख संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत नियत समय सीमा में अभियुक्त का उम्र जांच कर प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्राप्त करावें। आवेदक आज ही समय अपराह्न 04:00 बजे किशोर न्याय परिषद् सिवान के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होवें।

लेखापित

ह0/

विशेष न्यायाधीश, सिवान